विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निरीक्षण
(नाप-तौल उपकरण एवं पैकबंद वस्तुएं)

चरण-1	**निरीक्षण कब करें ?** 1. शिकायत प्राप्त होने पर, 2. अनियमितता का संदेह होने पर, 3. समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण जिससे वर्ष में लगभग प्रत्येक संस्थान का निरीक्षण हो जाये।
चरण-2	**निरीक्षण कौन कर सकता है ?** विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 में वर्णित नियंत्रक विधिक मापविज्ञान / विधिक मापविज्ञान अधिकारी (निरीक्षक / सहायक नियंत्रक / उप नियंत्रक / अन्य अधिकारी)
चरण-3	**निरीक्षण प्रपत्र** निरीक्षण टीप, जप्ती मेमो सह पंचनामा, आवश्यक होने पर अन्य पंचनामा।
चरण-4	**निरीक्षण किये जाने वाले बिन्दु** **1-** संस्थान पर उपलब्ध समस्त नाप-तौल उपकरण सत्यापित है अथवा नहीं **2-** संस्थान पर उपलब्ध समस्त नाप-तौल उपकरण निर्धारित मानक अनुसार है या नहीं **3-** उपकरणों के संबंध में दिया गया सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्थान पर प्रदर्शित है या नहीं **4-** संस्थान पर व्यापार अनुसार तौल उपकरणों का उपयोग एवं प्रदर्शन किया जा रहा है या नहीं **5-** यदि संस्थान डिब्बा बंद वस्तुओं को विक्रय कर रहा है तो पैकेज पर नियमानुसार घोषणाएं पूर्ण है अथवा नहीं **6-** यदि संस्थान पैकिंग करता है तो पैकिंग का पंजीयन है अथवा नहीं **7-** नाप-तौल उपकरण सहज दृष्टिगोचर स्थल पर प्रदर्शित है अथवा नहीं **8-** क्रय अथवा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की तौल की जांच। **9-** डिब्बा बंद वस्तुओं में शुद्ध मात्रा की जांच। **10-** अमानक प्रणाली में किसी भी प्रकार की घोषणाओं की जांच। **11-** मैट्रिक प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के बांट के रूप में उपयोग की जांच। **12-** नाप-तौल उपकरणों के संबंध में विविध अभिलेख।
चरण-5	**निरीक्षण पश्चात निरीक्षण रिपोर्ट स्केन कर विभाग को प्रेषित करना -** निरीक्षण टीप एवं अनियमितता (यदि कोई पाई गई तो) पर कार्यवाही संबंधी अभिलेख स्केन कर विभाग को ऑनलाईन (**Online**) प्रेषित करें।